न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 40 / 2024

दायर दिनांक: 24.12.2024

निर्णय दिनांक 16.01.2026

–: अनवान :–

1. श्रीमती तुलसी देवी पत्नि खीमसिंह जी जाति रावत निवासी बाघाना ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. डाली देवी पुत्री खीमसिंह जी जाति रावत निवासी बाघाना ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0) – **निगराकार / प्रार्थी**

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाघाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. ग्राम पंचायत बाघाना जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. डाउसिंह पिता मानसिंह जी रावत निवासी बाघाना तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0) – **गैर निगराकारगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1996 वास्ते पंचायत द्वारा जारी अवैध पट्टे को निरस्त कराने हेतु

उपस्थितः–

1– श्री आर0एल0 रावत, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार

2– अप्रार्थी / गैर निगराकार संख्या 01 व 02 अनुपस्थिति (एकपक्षीय कार्यवाही)

3– श्री श्यामसुन्दर पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी / गैर निगराकार संख्या 03

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत पंचायत द्वारा जारी अवैध पट्टे को निरस्त हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्दर आबादी हल्का बाघाना में निगरानीकर्ता का पति खीमसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.12.2004 को प्यारेलाल पिता देवीलाल जी प्रजापत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमन्द से 6001/– रूपये में भूखण्ड खरीदा एवं उस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्यारेलाल पिता देवीलाल जी प्रजापत निवासी पीपली नगर

पर अपने जीवन काल में मकान निर्मित किया। उसमें निगराकार खीमसिंह के जीवनकाल से ही निवास करती आ रही है। उक्त मकान जो आबादी में स्थित है, के तनहा मालिक काबिज निगराकार ही है, लेकिन उक्त मकान के बारे में गैर निगराकार संख्या 03 डाउसिंह पिता मानसिंह जी को निगराकारगण के पति खीमसिंह ने अपने जीवन काल में एक गोदनामा दिनांक 26.11.1993 को भीलखेड़ा ग्राम पंचायत कालादेह तहसील भीम की भूमियों के बारे में निष्पादित किया था। जहां पर निगराकारगण को अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर निगराकारगण के पति व पिता की मृत्यु के पश्चात भूमिया उनके नाम पर दर्ज हुई, जिसमें अनिगराकार संख्या डाउसिंह पिता मानसिंह के नाम पर भी दर्ज है। अनिगराकार संख्या 3 यह जानते है कि अन्दर आबादी हल्का बाघाना में बना हुआ मकान जिसमें खीमसिंह निवासरत था, व उसकी मृत्यु के बाद खीमसिंह की पुत्री व पत्नि जो कि उक्त निगरानी में निगराकार है, निवासरत है लेकिन अनिगराकार संख्या 3 अनिगराकार संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करते हुए ग्राम पंचायत बाघाना से निगराकार की बेजानकारी में उक्त मकान का पट्टा आवासीय भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज के नियम 157 ए के तहत दिनांक 21.06.2024 को अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर पट्टा संख्या 17 बुक संख्या 92 के तहत अवैध रूप से जारी करा दिया। उक्त तथाकथित पट्टे के पड़ौस इस प्रकार है कि उत्तर में – मांगीलाल जी का मकान, दक्षिण में – गोविन्द जी का मकान, पूर्व में – एन.एच. 8 (रास्ता) व पश्चिम में – खाली जगह है जिसका नाप उत्तर की ओर 40 फीट, दक्षिण की तरफ 40 फीट पूर्व–पश्चिम 40 फीट X 27 फीट = 1080 वर्गफीट का अवैध पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि उक्त पड़ौसो के मध्य स्थित मकान निगराकार को अपने पति खीमसिंह से प्राप्त हुआ है अनिगराकार संख्या 1 व 2 जो अनिगराकार संख्या 3 से मिल चुके है, इन्होने आपसी षडयंत्र रचते हुए गलत रूप से निगराकार को अपने विधिक अधिकार से महरूम करने के लिए उक्त अवैध पट्टा जारी कर विधि विरूद्ध कृत्य किया है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 157(1) के अधीन अनिगराकार संख्या 3 का मौके पर कोई मकान ही नही है लेकिन उन्होंने निगराकार के मकान का अवैध पट्टा जारी करा भारी भुल की है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत कोई पट्टा जारी किया जाता है, तो अनिगराकार संख्या 1 व 2 को नियम 148 से लगायत 156 तक बने नियमों की पालना करनी पड़ती है। लेकिन तथाकथित पट्टा जारी करने में न तो पट्टा जारी करने से पहले अखबार में कोई आम सूचना प्रकाशित नहीं कराई न ही कोई आपत्ति आह्वान किया गया, न ही कोई पड़ौसियों को पट्टा जारीा करने की अधिसूचना जारी की गई। उक्त पट्टा जारी करने से पहले कमेठी गठित करके कमेटी के मौका निरीक्षण किया जाना भी आवश्यक होता है लेकिन उक्त विवादित पट्टा जारी कराने के संबंध में कोई प्रक्रिया अपनायी नहीं गई एवं फर्जी पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अनिगराकार संख्या 3 मौके पर बेकब्जा करने के लिए आमदा हो गया। जिस पर निगराकार ने पुलिस थाना दिवेर में फर्जी पट्टा निर्मित करने एवं कूटरचना करने की अपराध की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2024 को पेश की गई थी, तब से विवादित पट्टे की जानकारी हुई। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकारगण की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अनिगराकार संख्या 1 व 2 के द्वारा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में अवैध आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 21.06.2024 पट्टा संख्या 17 बुक संख्या 92 जो जारी किया गया है, वो विधि विरूद्ध होकर निगराकार के मुकाबले अवैध एवं शुन्य है उसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत बाघाना से मूल पट्टा पत्रावली तलब करने हेतु पत्र जारी किया गया परन्तु मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त। गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बावजूद सूचना लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 28.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

गैर निगराकार संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित मकान पर निगराकार का कभी भी निवास नहीं रहा। उक्त मकान पर विपक्षी संख्या 3 का आधिपत्य, उपयोग–उपभोग रहा। वर्ष 2018 से विपक्षी संख्या 3 का विद्युत कनेक्शन लगाया तथा विपक्षी संख्या 3 ही उक्त मकान पर निवास कर रहा हैं। निगराकार, जिस तथाकथित विक्रय इकरार के आधार पर यह निगरानी याचिका पेश की। इस प्रकार का कोई इकरार निष्पादित नहीं हुआ। तथाकथित विक्रय इकरार अपंजीकृत एवं प्रोपर स्टाम्प पर नहीं हैं। इस तरह के दस्तावेज के आधार निगराकार को उक्त मकान पर कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होता है।निगराकार का उक्त मकान पर कोई हक, अधिकार नहीं हैं। खीम सिंह जी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पिता को गोद लेना स्वीकार है विपक्षी संख्या 3 के माता–पिता का स्वर्गवास पश्चात् श्री खीमसिंह जी उर्फ खेम सिंह जी पिता राजू सिंह जी रावत ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति को विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 3 के भाई बहादुर सिंह हकदार होने के सम्बन्ध में इच्छा पत्र उन्होंने दिनांक 10/07/2010 को निष्पादित किया, जिस पर निगराकार तलसी देवी ने भी संयुक्त रूप से निष्पादित कर अंगुठा निशानी की तथा अन्य गवाहान के भी हस्ताक्षर कराये तथा नोटेरी पब्लिक से भी तस्दीक करवाया गया। इस तरह भी खेम सिंह उर्फ खिम सिंह जी की सारी चल–अचल सम्पत्ति के एक मात्र उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 3 एवं बहादुर सिंह हैं। पट्टा नियमानुसार जारी हुआ। जब तक निगराकार अपने हक, अधिकारों की घोष्णा सक्षम न्यायालय से नहीं करा लेवें, तब तक प्रार्थीगण की निगरानी याचिका चलने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

योग्य नहीं है। निगरानी याचिका की प्रार्थना की कलम में, जो सहायताएं चाही हैं, वो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अन्दर आबादी हल्का बाघाना में निगरानीकर्ता का पति खीमसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.12.2004 को प्यारेलाल पिता देवीलाल जी प्रजापत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमन्द से 6001/– रूपये में भूखण्ड खरीदा एवं उस पर अपने जीवन काल में मकान निर्मित किया। उसमें निगराकार खीमसिंह के जीवनकाल से ही निवास करती आ रही है। उक्त मकान जो आबादी में स्थित है, के तनहा मालिक काबिज निगराकार ही है, लेकिन उक्त मकान के बारे में गैर निगराकार संख्या 03 डाउसिंह पिता मानसिंह जी को निगराकारगण के पति खीमसिंह ने अपने जीवन काल में एक गोदनामा दिनांक 26.11.1993 को भीलखेड़ा ग्राम पंचायत कालादेह तहसील भीम की भूमियों के बारे में निष्पादित किया था। जहां पर निगराकारगण को अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर निगराकारगण के पति व पिता की मृत्यु के पश्चात भूमिया उनके नाम पर दर्ज हुई, जिसमें अनिगराकार संख्या डाउसिंह पिता मानसिंह के नाम पर भी दर्ज है। अनिगराकार संख्या 3 यह जानते है कि अन्दर आबादी हल्का बाघाना में बना हुआ मकान जिसमें खीमसिंह निवासरत था, व उसकी मृत्यु के बाद खीमसिंह की पुत्री व पत्नि जो कि उक्त निगरानी में निगराकार है, निवासरत है लेकिन अनिगराकार संख्या 3 अनिगराकार संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करते हुए ग्राम पंचायत बाघाना से निगराकार की बेजानकारी में उक्त मकान का पट्टा आवासीय भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज के नियम 157 ए के तहत दिनांक 21.06.2024 को अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर पट्टा संख्या 17 बुक संख्या 92 के तहत अवैध रूप से जारी करा दिया। उक्त तथाकथित पट्टे के पड़ौस इस प्रकार है कि उत्तर में– मांगीलाल जी का मकान, दक्षिण में– गोविन्द जी का मकान, पूर्व में– एन.एच. 8 (रास्ता) व पश्चिम में– खाली जगह है जिसका नाप उत्तर की ओर 40 फीट, दक्षिण की तरफ 40 फीट पूर्व–पश्चिम 40 फीट X 27 फीट = 1080 वर्गफीट का अवैध पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि उक्त पड़ौसो के मध्य स्थित मकान निगराकार को अपने पति खीमसिंह से प्राप्त हुआ है अनिगराकार संख्या 1 व 2 जो अनिगराकार संख्या 3 से मिल चुके है, इन्होने आपसी षडयंत्र रचते हुए गलत रूप से निगराकार को अपने विधिक अधिकार से महरूम करने के लिए उक्त अवैध पट्टा जारी कर विधि विरूद्ध कृत्य किया है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 157(1) के अधीन अनिगराकार संख्या 3 का मौके पर कोई मकान ही नही है लेकिन उन्होंने निगराकार के मकान का अवैध पट्टा जारी करा भारी भुल की है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत कोई पट्टा जारी किया जाता है, तो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अनिगराकार संख्या 1 व 2 को नियम 148 से लगायत 156 तक बने नियमों की पालना करनी पड़ती है लेकिन तथाकथित पट्टा जारी करने में न तो पट्टा जारी करने से पहले अखबार में कोई आम सूचना प्रकाशित नहीं कराई न ही कोई आपत्ति आह्वान किया गया, न ही कोई पड़ौसियों को पट्टा जारीा करने की अधिसूचना जारी की गई। उक्त पट्टा जारी करने से पहले कमेठी गठित करके कमेटी के मौका निरीक्षण किया जाना भी आवश्यक होता है लेकिन उक्त विवादित पट्टा जारी कराने के संबंध में कोई प्रक्रिया अपनायी नहीं गई। एवं फर्जी पट्टा अनिगराकार संख्या 3 के नाम पर जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है जब अनिगराकार संख्या 3 मौके पर बेकब्जा करने के लिए आमदा हो गया। जिस पर निगराकार ने पुलिस थाना दिवेर में फर्जी पट्टा निर्मित करने एवं कूटरचना करने की अपराध की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2024 को पेश की गई थी, तब से विवादित पट्टे की जानकारी हुई अतः निगराकारगण की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अनिगराकार संख्या 1 व 2 के द्वारा अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में अवैध आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 21.06.2024 पट्टा संख्या 17 बुक संख्या 92 जो जारी किया गया है, वो विधि विरूद्ध होकर निगराकार के मुकाबले अवैध एवं शुन्य है उसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 03 ने जवाब वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विवादित मकान पर निगराकार का कभी भी निवास नहीं रहा एवं यदि निवास रहा तो उस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। उक्त मकान पर विपक्षी संख्या 3 का आधिपत्य, उपयोग–उपभोग रहा। वर्ष 2018 से विपक्षी संख्या 3 का विद्युत कनेक्शन लगाया तथा विपक्षी संख्या 3 ही उक्त मकान पर निवास कर रहा हैं। निगराकार, जिस तथाकथित विक्रय इकरार के आधार पर यह निगरानी याचिका पेश की। इस प्रकार का कोई इकरार निष्पादित नहीं हुआ। तथाकथित विक्रय इकरार अपंजीकृत एवं प्रोपर स्टाम्प पर नहीं हैं। इस तरह के दस्तावेज के आधार निगराकार को उक्त मकान पर कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होता है। निगराकार का उक्त मकान पर कोई हक, अधिकार नहीं हैं। खीम सिंह जी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पिता को गोद लेना स्वीकार है विपक्षी संख्या 3 के माता–पिता का स्वर्गवास पश्चात् श्री खीमसिंह जी उर्फ खेम सिंह जी पिता राजू सिंह जी रावत ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति को विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 3 के भाई बहादुर सिंह हकदार होने के सम्बन्ध में इच्छा पत्र उन्होंने दिनांक 10/07/2010 को निष्पादित किया, नोटेरी पब्लिक से भी तस्दीक करवाया गया। इस तरह भी खेम सिंह उर्फ खिम सिंह जी की सारी चल–अचल सम्पत्ति के एक मात्र उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 3 एवं बहादुर सिंह हैं। पट्टा नियमानुसार जारी हुआ। निगराकार को खेमसिंह जी द्वारा निष्पादित इच्छा पत्र के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में दावा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करना था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा दिनांक 21.08.2024 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत श्री डाउसिंह पुत्र श्री मानसिंह के पक्ष में जारी आवासीय भूमि के पट्टे के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकरण में निगराकार संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 3 श्री डाऊसिंह की माता है। तथा निगराकार संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 3 श्री डाऊसिंह की बहिन है। डाऊसिंह को निगराकार के पति श्री खीमसिंह द्वारा गोद लिया है। तथा श्री खीमसिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपनी पत्नि सहित जो कि इस प्रकरण में निगराकार भी है। अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 3 तथा उसके पोतो को एक इकरारनामे के जरिये नियुक्त किया गया है। उत्तराधिकार होने का आशय यह होता है कि उनके जीवन के पश्चात जो संपत्ति है। वो किसको जायेगी, वो एक वसीयत की श्रेणी में इस इकरारनामे को रखा जाता है। और इस इकारारनामे के आधार पर अकेले इस अप्रार्थी संख्या 3 श्री डाऊसिंह द्वारा मकान/भूखण्ड का पट्टा अपने नाम पर ले लेना जो कि पूर्णतया एक अनैतिक कृत्य है जिस मॉ बाप ने उसको गोद लिया है। पिता की मृत्यु के पश्चात मॉ और अपनी बहिन को उनके अधिकारो से वंचित कर देना पूर्णतया एक स्वार्थी दृष्टिकोण जो कि हिन्दु नीति, कानून सभी के खिलाफ है हालांकि किसी भी पट्टे की वैधता का निर्धारण करने के लिए इन बातों को नहीं देखा जाता है परन्तु जो व्यापक दृष्टिकोण से न्याय हो इसका भी प्रयास प्रत्येक न्यायालय को करते रहना चाहिए।

अब हम जब इस पट्टे के नियमो के आलोक में अवलोकन करते है तो हम यह देखते है कि यह पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। और इस नियम में यह स्पष्ट है कि यदि किसी आवास पर 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर आवंटित का कब्जा है या पंचायतीराज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की दिनांक से पिछले 50 वर्षो के दौरान यह निर्माण किया गया है तो नियम 157(1) के तहत पट्टा दिया जा सकता है। यहां पर निगराकार द्वारा एक इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है इस इकरारनामे से यह जाहिर हो रहा है कि निगराकार पति/पिता श्री खीमसिंह जी ने यह भूखण्ड श्री प्यारेलाल जी प्रजापत से 60,001/– अक्षरे साठ हजार एक रूपये में क्रय किया था। यद्यपि यह एक अपंजीकृत इकरारनामा है। इसका पंजीकरण नहीं कराया गया है परन्तु इसके आधार पर कोई टाईटल अंतरण हो या न हो, लेकिन यह एक प्रस्थितिजन्य साक्ष्य है इससे यह जाहिर होता है कि यह वर्ष 2004 में एक भूखण्ड था और उस भूखण्ड को खीमसिंह जी ने श्री प्यारेलाल जी से एक समुचित राशि 60,001/– अक्षरे साठ हजार एक रूपये में वर्ष 2004 में खरीदा और वर्ष 2004 में 60,001/– रूपये में भूखण्ड खरीदकर फिर उस पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मकान बनाया यानि जो मकान बना है वह वर्ष 2004 के पश्चात बना है अर्थात् मकान मात्र 20 वर्ष पुराना है। तो क्या 20 वर्ष पुराने मकान का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया जा सकता है यदि नियमो का अध्ययन करे तो 50 वर्ष पुराने मकान का ही नियमन 157(1) के तहत मात्र 200 रूपये में किया जा सकता है तो यहां पर यह साबित होता है कि जिस मकान का पट्टा ग्राम पंचायत बाघान द्वारा जारी किया गया वह 50 वर्ष पुराना नहीं है साथ ही डाऊसिंह की आयु मात्र 28 वर्ष है। तो ऐसी स्थिति में इस मकान पर डाऊसिंह का अधिकार मानना भी सही नहीं है कि 50 वर्ष पुराने मकान में एक 28 वर्ष का युवक रह रहा है यह भी उचित नहीं नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवेचन चाहे नियमो के परिप्रेक्ष्य में किया जाए या सामाजिक विषय के मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जाए या पारिवारिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो सभी दृष्टिकोण से व्यापक न्यायहित इस बात की ओर ले जाता है कि यह जो पट्टा ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी किया गया है वह पूर्णतया अनियमित व अवैध है। नियमो क विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा दिनांक 21.08.2024 को श्री डाऊसिंह पिता मानसिह को जारी पट्टा निरस्त योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा दिनांक 21.08.2024 को गैर निगराकार संख्या 03 श्री डाऊसिंह पिता मानसिह के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बाघाना को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)